संख्या-15/2022/I/151645/2022/71-4002(002)/3/2021-4

प्रेषक

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 30 मार्च, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) पर व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के पत्र संख्या-रा.अ.स./वित्त/2021-22/425, दिनांक 05 मार्च, 2022 के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एमई/बजट/2021-22/1033, दिनॉक 23.03.2022 के द्वारा की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में मानक मद-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में रू0 400.00 लाख की बचत से मानक मद-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) पर रू0 400.00 लाख (रू0 चार करोड़ मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1) पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही किया जायेगा।
2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया जायेगा।
3) जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।
4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। पुनर्विनियोग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

6) उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी 03, शिक्षा-0371 चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना 20-सहायता अनुदान –सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आर0 ई0 संख्या-660/ई-3/दस-2021-22, दिनॉक 29.03.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक यथोक्त:

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या एवं तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, (बजट) चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।